मानननीय न्यायालय राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म.प्र.

112

प्रकरण क्रं. /2018निगरानी

PBR/अपील/उज्जैन/भू.रा/2018/2551

1.जीवन सिंह पिता रूपाजी, जाति–बंजारा
2.दाखीबाई पति श्री भीमाजी, जाति–बंजारा
निवासीगण–ग्राम नागपुरा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. बनेसिंह पिता रूपाजी, जाति–बंजारा
2. सीताबाई पति रूपाजी, जाति–बंजारा
निवासीगण–ग्राम नागपुरा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन म.प्र. ....अनावेदकगण

कैम्प उज्जैन पर दिनांक 19/4/18 को अभिभाषक श्री रमेशचंद मूणत द्वारा प्रस्तुत

9827305830 R.C.Munat

अपील अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता
अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी घट्टिया के प्रकरण क्रं. 45/अपील/2016–17 आदेश दिनांक 13/03/2018 से असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है:–

1. यह कि, आवेदक क्रं. 1 व अनावेदक क्रं. 1 सगे भाई है तथा अनावेदक क्रं. 2 आवेदक क्रं. 1 व अनावेदक क्रं. 1 की माता है तथा आवेदक क्रं. 2 आवेदक क्रं. 1 व अनावेदक क्रं. 1 की भाभी है तथा इस प्रकार आवेदकगण व अनावेदकगण का एक संयुक्त खाता ग्राम नागपुरा में कुल रकबा 3.31 हे. स्थित होकर सभी का समान भाग व स्वत्व था। आवेदकगण व अनावेदकगण ने संयुक्त रूप से उपरोक्त भूमि का बंटवारा नायब तहसीलदार तहसील घट्टिया जिला उज्जैन में धारा–178 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बंटवारा हेतु निवेदन किया गया उक्त आवेदन के आधार पर विधिवत विज्ञप्ति जारी कर समान भाग अनुसार विधिवत नामांतरण पंजी क्रं. 10 दिनांक 26/06/2012 को आदेशानुसार सभी आवेदकगण व अनावेदकगण के हस्ताक्षर किये जाकर बंटवारा स्वीकृत हुआ और सभी के विधिवत ऋण पुस्तिका अलग–अलग बनायी जाकर आवेदकगण व अनावेदकगणों ने अपने-अपने खाते से कृषि ऋण प्राप्त किया गया। उक्त बंटवारा आदेश दिनांक 26/06/2012 से असंतुष्ट होकर को अनावेदक क्रं. 1 बनेसिंह ने दिनांक 31/08/2017 को अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के

3

निरंतर...2

XXIX(a)-BR(H)-11

112

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/अपील/उज्जैन/भू.रा./2018/2551

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/01/19	प्रकरण का अवलोकन किया। अपीलान्ट की ओर से यह अपील अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को न होकर आयुक्त न्यायालय को है। दर्शित परिस्थिति में यह अपील अपीलार्थी को वापिस की जाए। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। **प्रशासकीय सदस्य**	